अनुदान संख्या 49 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 49 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*100*	*97*	*-3*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4285,99,00	4502,17,00	4485,15,09	-17,01,91
पूरक	Supplementary	216,18,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	601,58,00	601,79,00	522,18,59	-79,60,41
पूरक	Supplementary	21,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				74,81,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	32352.00			
पू.	S.	1000.00	35454.04	35436.04	-18.00
पु.	R.	2102.04			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	29998.00			
पू.	S.	401.00	31554.00	31458.88	-95.12
पु.	R.	1155.00			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	23389.00			
			16581.37	16581.78	+0.41
पु.	R.	-6807.63			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	10375.00			
पू.	S.	1.00	9812.30	9758.86	-53.44
पु.	R.	-563.70			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	48936.00			
पू.	S.	300.00	49136.00	49082.26	-53.74
पु.	R.	-100.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3054"	Major head "3054"					
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges					
मू.	O.	14426.00		11942.00	11934.10	-7.90
पु.	R.	-2484.00				

(I) ₹5259.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹5000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता – स्मार्ट शहर परियोजना" के अंतर्गत – पिछले अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹5259.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) remained wholly unutilized under twenty three heads; of these ₹5000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Smart City Project" - due to non-receipt of utilization certificates in respect of previous grants.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान समिति" के अंतर्गत – ₹2620.00 लाख की बचत (₹4900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासन एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से स्पष्टीकरण किए जाने के कारण नए मैडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में विलंब होने, अतिथि गृह के किराए का भुगतान न होने तथा डॉक्टरों के त्याग पत्र देने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Andaman & Nicobar Islands Medical Education & Research Society" - saving of ₹2620.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs) was due to delay in construction of new medical college owing to clarification from MoHFW, non-payment of guest house rent and resignation of doctors.

(III) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगरपालिकाओं/नगर पालिका परिषद को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद" के अंतर्गत – "1831.40 लाख की बचत (₹3360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) Under Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council" - saving of ₹1831.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3360.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "2515" – "ग्राम पंचायत – ग्राम पंचायत को सहायता" के अंतर्गत ₹510.70 लाख की बचत

(IV) Under Major Head "2515" - "Gram Panchayat - Aids to Gram Panchayat" - saving of

(₹4433.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पिछले अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – मेनलैंड–आईलैंड पोतों के प्रचालनात्मक प्रभार" के अंतर्गत – ₹1800.68 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति तथा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला तथा अन्य सड़कें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "जिला परिषद/जिला स्तर पंचायत को सहायता – जिला परिषद" – ₹565.21 लाख की बचत (₹1415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर – पंचायत समिति" – ₹532.04 लाख की बचत (₹1415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "ग्राम पंचायत को सहायता – ग्राम पंचायत को सहायता" – ₹1977.14 लाख की बचत (₹6181.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1344.42 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 68 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1799.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 में मुख्य शीर्ष "2210" – "लोक

₹510.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4433.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificate in respect of previous grants.

(V) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Mainland-Islands Vessels" - saving of ₹1800.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs) was due to slow progress of work and delay in finalization of tender.

(VI) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Assistance to Zila Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad" - saving of ₹565.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1415.00 lakhs);

(B) "Block Panchayat/Intermediate Level - Panchayat Samiti" - saving of ₹532.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1415.00 lakhs); and

(C) "Assistance to Gram Panchayat - Aids to Gram Panchayat" - saving of ₹1977.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6181.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of utilization certificates in respect of previous grants.

(VII) Under four heads saving of ₹1344.42 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 68 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1799.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

स्वास्थ्य – रोगों का रोकथाम और नियंत्रण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था –

(का) "राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)" – ₹839.30 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹829.58 लाख था।

(खा) "आयुष्मान भारत – पीएमजेएवाई" – ₹959.70 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "विशेष पुलिस – भारतीय रिजर्व बटालियन" के अंतर्गत – ₹942.42 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹835.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7282.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन किए जाने की वजह से एक महीने के प्रतिपूरक अतिरिक्त वेतन, राशन मनी भत्तों तथा बकाया के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवा – एलोपैथी – निदेशन और प्रशासन – स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" के अंतर्गत – ₹502.13 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹250.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3966.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा आधार पर नियुक्त किए गए सीएचएस विशेषज्ञ डॉक्टरों के वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा बकाया ऊर्जा प्रभारों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – अंतर द्वीपीय पोतों का प्रचालनात्मक प्रभार" के अंतर्गत – ₹1416.51 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹300.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹22950.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों के अनुरक्षण तथा पोतों के लिए एचएसडी ऑयल की अधिप्राप्ति के लिए एससीआई को भुगतान किए जाने हेतु

obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2019 under Major Head "2210" - "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(A) "National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)" - ₹839.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹829.58 lakhs.

(B) "Ayushman Bharat - PMJAY" - ₹959.70 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2055" - "Special Police - India Reserve Battalion" - excess of ₹942.42 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7282.50 lakhs including supplementary grant of ₹835.00 lakhs obtained in March, 2020) was due to requirement of additional funds towards compensatory one month extra pay, Ration money allowances and arrears owing to implementation of Hon'ble Supreme Court judgement.

(B) Major Head "2210" - "Urban Health Service - Allopathy - Direction and Administration - Directorate of Health Services" - excess of ₹502.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3966.60 lakhs including supplementary grant of ₹250.00 lakhs obtained in March, 2020) was due to requirement of additional funds towards salary to CHS specialist doctors appointed on contract basis and settlement of outstanding energy charges.

(C) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - excess of ₹1416.51 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22950.00 lakhs including supplementary grant of ₹300.00 lakhs obtained in March, 2020) was due to requirement of additional funds towards payment to SCI for

अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

maintenance of vessels and procurement of HSD oil for vessels.

(III) बारह शीर्षों के अंतर्गत ₹4446.58 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 561 प्रतिशत था।

(III) Under twelve heads excess of ₹4446.58 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 561 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2335.00			
पू.	S.	1.00	3100.00	3097.55	-2.45
पु.	R.	764.00			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	2915.00			
पू.	S.	1.00	2131.00	2136.88	+5.88
पु.	R.	-785.00			
मुख्य शीर्ष "4215" जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	4420.00			
पू.	S.	1.00	5284.00	5247.29	-36.71
पु.	R.	863.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	4000.00			
पू.	S.	1.00	2112.00	2111.69	-0.31
पु.	R.	-1889.00			
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	151.00			
पू.	S.	1.00	500.00	499.62	-0.38
पु.	R.	348.00			
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	2391.00			
पू.	S.	1.00	758.00	758.00	..
पु.	R.	-1634.00			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	1060.00			
पू.	S.	1.00	1759.00	1712.31	-46.69
पु.	R.	698.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5051"	Major head "5051"				
पत्तनों तथा प्रकाश स्तम्भों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	2920.00			
पू.	S.	1.00	3036.00	2940.94	-95.06
पु.	R.	115.00			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major head "5052"				
पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	20132.00			
पू.	S.	1.00	9670.00	9642.35	-27.65
पु.	R.	-10463.00			
मुख्य शीर्ष "5053"	Major head "5053"				
नागरिक विमानन पर पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	101.00			
पू.	S.	1.00	1329.00	1328.31	-0.69
पु.	R.	1227.00			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major head "5054"				
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	8040.00			
पू.	S.	1.00	10595.00	10592.81	-2.19
पु.	R.	2554.00			

(I) ₹88.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “4210” – “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल तथा औषधालय – स्वास्थ्य सेवा निदेशालय” के अंतर्गत – ₹940.00 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2303.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैथ लेब परियोजना तथा इनसीनरेटर्स इंस्टलोशन के लिए बोलीदाताओं की भागीदारी न होने की वजह से निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भवन” के अंतर्गत – ₹2387.56 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यस्थम मामलों के समाधान में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4250” – “प्राकृतिक आपदाएं – आपदाओं के प्रबंधन में तैयारी बढ़ाना” के अंतर्गत – ₹1803.00 लाख की बचत (₹2041.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूनामी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को लगाने तथा उनकी कमीशनिंग के लिए टैक्नो–वाणिज्यिक बोली को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “5052” – “सामान्य – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पोतों की खरीद” के अंतर्गत – ₹10444.31 लाख की बचत (₹10450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दो अदद 500 पैक्स पोतों के चरणबद्ध पूरा होने तथा उनकी सुपुर्दगी में विलंब होने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹720.53 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 46 प्रतिशत और 47 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4846.80 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 तथा मार्च 2020 में निम्नलिखित

(I) Provision of ₹88.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads.

(II) Under Major Head “4210” - “Urban Health Services - Hospitals and Dispensaries - Directorate of Health Services” - saving of ₹940.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2303.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in March, 2020) was due to non-finalization of tender owing to non-participation of bidders for the project of Cath lab and incinerators installation.

(III) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Tribal Area Sub-Plan - Building” - saving of ₹2387.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to delay in settlement of arbitration cases of Central Public Works Department.

(IV) Under Major Head “4250” - “Natural Calamities - Enhancing Preparedness in Managing Disasters” - saving of ₹1803.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2041.00 lakhs) was due to non-finalization of Techno-Commercial Bid for installation and commissioning of Tsunami early warning systems.

(V) Under Major Head “5052” - “General - Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships” - saving of ₹10444.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10450.00 lakhs) was due to delay in stage completion and delivery of two 500 pax vessel by Cochin shipyard Ltd.

(VI) Under two heads saving of ₹720.53 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 46 percent and 47 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹4846.80 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹8.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – सामान्य प्रशासन" – ₹499.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹500.45 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "4215" – "जल आपूर्ति – शहरी जल आपूर्ति – शहरी क्षेत्रों को जल आपूर्ति" – ₹529.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹515.11 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "4216" – "शहरी आवासीय भवन – सामान्य पूल आवास – भवन" – ₹498.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹498.25 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष "4235" – "सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण – भवन" – ₹349.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹348.62 लाख था।

(ड.) मुख्य शीर्ष "4801" – "संचार तथा वितरण – निदेशन और प्रशासन – संचार और वितरण पर व्यय" – ₹489.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹457.47 लाख था।

(चा) मुख्य शीर्ष "5051" – "लघु पत्तन – अन्य छोटे पत्तन – पत्तन उपकरण तथा मशीनरी" – ₹764.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹740.47 लाख था।

(छा) मुख्य शीर्ष "5053" "विमानपत्तन – एयरोड्रोम – पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का निर्माण" – ₹1217.00 लाख।

(जा) मुख्य शीर्ष "5054" "जिला तथा अन्य सड़कें – सड़क निर्माण – जिला सड़कें" – ₹499.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹499.76 लाख था।

obtaining token supplementary grant of ₹8.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following major heads: -

(A) Major Head "4059" - "General - Construction - General Administration" - ₹499.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹500.45 lakhs.

(B) Major Head "4215" - "Water Supply - Urban Water Supply - Water Supply to Urban Areas" - ₹529.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹515.11 lakhs.

(C) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Building" - ₹498.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹498.25 lakhs.

(D) Major Head "4235" - "Social Welfare - Child Welfare - Building" - ₹349.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹348.62 lakhs.

(E) Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Expenditure on Transmission and Distribution" - ₹489.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹457.47 lakhs.

(F) Major Head "5051" - "Minor Ports - Other Small Ports - Ports Equipment and Machinery" - ₹764.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹740.47 lakhs.

(G) Major Head "5053" - "Air Ports - Aerodromes - Construction of Port Blair Air Port" - ₹1217.00 lakhs.

(H) Major Head "5054" - "District and Other Roads - Road Works - District Roads" - ₹499.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹499.76 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "राज्य राजमार्ग – सड़क निर्माण – अंडमान ट्रंक रोड के अलावा" – ₹699.16 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1800.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(खा) "जिला तथा अन्य सड़कें – सड़क निर्माण – ग्रामीण सड़कें" – ₹998.09 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4600.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण/अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - under the following heads: -

(A) "State Highways - Road Works - Other than Andaman Trunk Road" - excess of ₹699.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1800.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in March, 2020); and

(B) "District and Other Roads - Road Works - Rural Roads" - excess of ₹998.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4600.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in March, 2020).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards construction/maintenance of Roads and Bridges.